कार्यालय प्राचार्य, जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र)

(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत दिव्यांगजनों चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति

विशेष भर्ती अभियान के तहत चतुर्थ श्रेणी दिव्यांगजनों के रिक्त पदों के लिए अधोलिखित तालिका में वर्णित पदों की पूर्ति वॉक–इन–इन्टरव्यू के माध्यम से की जाना है। आवेदन हेतु निर्धारित योग्यता एवं अर्हता रखने वाले उम्मीदवार संस्था की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रारूप में **दिनांक 04/10/2024** तक कार्यालयीन समय सायंकाल 06:00 बजे तक संस्था में जमा करें, इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन प्राचार्य, जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर के नाम से संबोधित कर प्रेषित करे। डाक से हुये विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नही होगा। रिक्त पदों का विवरण वेतनमान निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं वॉक–इन–इन्टरव्यू के लिये निर्धारत तिथि एवं समय की जानकारी निम्नलिखित हैः–

क्र.	पदनाम/वेतनमान	पद की श्रेणी	दिव्यांगजन की श्रेणी	निर्धारित योग्यता
1	बुक अटेंडेंट 15500-49000 (Level-1)	IV	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता पद की संख्या–01	हाई स्कूल (10+2 स्तर)
2	स्किल्ड वर्कमेन 16100-50900 (Level-2)	IV	बहरे और कम सुनने वाले पद की संख्या–01	हाई स्कूल (10+2 स्तर)

नोटः–सरल क्रमांक 1 से 2 तक के चतुर्थ श्रेणी के पदों हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू (साक्षात्कार) हेतु निर्धारित **तिथि 16/10/2024** एवं **समय प्रात 11:00** बजे सुनिश्चित की गई है। उक्त समस्त पदों हेतु वॉक–इन–इन्टरव्यू जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर (म.प्र) में लिया जावेगा।

विशेष भर्ती अभियान से संबंधित विविध जानकारी निम्नानुसार हैः–

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
2. गृह जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्थाई डिजिटल निःशक्तता का प्रमाण–पत्र ही मान्य होगा।
3. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक सी. 3–11/12/1/3 भोपाल दिनांक 03 नवम्बर 2012 के अनुसार दिनांक 01/01/2024 को स्थिति में आवेदक की आयु अधिकतम 40 वर्ष एवं न्यूनतम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है।
4. आवेदक का मध्यप्रदेश में किसी भी रोजगार कार्यालय में **जीवित पंजीयन** होना अनिवार्य है।
5. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप कमांक एफ–8–3/2013/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार चयनोपरान्त निःशक्तता प्रमाण पत्रों के परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडीकल बोर्ड से कराया जावेगा। जाँच में निःशक्तता प्रमाणित होने पर ही उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति होगी।
6. पूर्व से सेवारत/अन्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी नियोक्ता के माध्यम से ही आवेदन करेगें।
7. साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया डिजीटल स्थाई एवं जीवित जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
10. जिस आवेदक के दो से अधिक संतान है एवं उनमें से एक संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
11. उपरोक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति स्वशासी संस्था के स्वशासी नियमों के अंतर्गत की जावेगी। चयनोपरांत नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार प्राचार्य, जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर/सोसायटी के पास सुरक्षित रहेंगे।
12. समस्त प्रमाण–पत्रों की स्व–प्रमाणित/सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रतियों होना अनिवार्य है। 02 सेट साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण–पत्रों के अभाव में आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
13. पासपोर्ट आकार के दो नवीनतम रंगीन फोटो (चश्मा रहित) अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होगें।
14. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप कमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट), दिनांक 03.07.2018 के माध्यम से दिए गए निर्देशानुसार सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही चयनोपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं समय–समय पर जारी किए गए नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही प्राचार्य, जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर द्वारा की जावेगी।
15. प्रस्तुत किये गये प्रमाण–पत्र/पत्रों के नकली/कूटरचित पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से स्वमेव समाप्त मानी जावेगी एवं नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
16. यह कि आवेदन–पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति, मूल, निवासी, जन्म तिथि, श्रेणी (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग) आदि से संबंधित प्रमाण–पत्र, निर्धारित योग्यता संबंधी अंकसूची/अभिलेखों की स्व–प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न की जायें। आवेदन प्रस्तुति की अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी दस्तावेज को मान्य नहीं किया जावेगा।
17. पदों, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं आयु से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा **आवेदन पत्र का प्रारूप** जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय जबलपुर की वेब साईट www.jecjabalpur.ac.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
18. वॉक–इन साक्षात्कार के पात्र अभ्यर्थियों की सूची संस्था के बेबसाइड/सूचनापटल पर उपलब्ध रहेगी।
19. विज्ञापित पदों हेतु परिवीक्षा काल की अवधि तीन वर्षीय होगी एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3–13/2019/3/एक दिनांक 12/12/2019 द्वारा परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

प्राचार्य
जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय
जबलपुर